न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —34 / 2025 (अपील)
जीसीएमएस न0 2025 / 45

श्रीमती संतोष मीणा उर्फ संतोष देवी पत्नी दुलीचंद मीणा निवासी मकान संख्या 458, केशवपुरा, सेक्टर—4 रंगबाडी मेन रोड कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

श्रीमती सुनीता मीणा पत्नी विजय कुमार मीणा पुत्री मोतीलाल मीणा, निवासी मकान संख्या 458, केशवपुरा, सेक्टर—4 रंगबाडी मेन रोड कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा दिनांक 28.11.2024 प्रकरण संख्या 27 / 2022 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थितः—

1. श्री देवेन्द्र मीणा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रविन्द्र कुमार विजय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 09.06.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा ने प्रार्थीया अपीलांट द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 23 व 24 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने निर्णय दिनांक 28.11.2024 को आदेश पारित किया कि—"अप्रार्थीया के इस कथन से सहमत है कि प्रार्थीया के पास आय के पर्याप्त साधन मोजूद है । प्रार्थीया की ओर से स्वामित्व वाले मकान के पश्चिम में अप्रार्थी के पति विजय कुमार का मकान स्थित है, अप्रार्थीया का यह भी कथन है कि अप्रार्थीया जिस मकान में निवास कर रही है वह उसके पति विजय कुमार के नाम है जिसमें वह अपने बच्चों के साथ निवास कर रही है । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते है । अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

2. अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 28.11.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.02.2025 को पेश की गई है कि अपीलान्ट का स्वयं का एक खरीदशुदा मकान, मकान संख्या 458 केशवपुरा सेक्टर—4 रंगबाडी मेन रोड कोटा में स्थित है तथा अपीलान्ट उक्त मकान के 4 कमरे किराये पर देकर उससे होने वाली आय से ही अपनी गुजर बसर करती है, इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है । रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पति की सम्पत्तियां हडपने पर आमादा है। इतना ही नहीं वह अन्य पास पडौसियों के मकानों पर भी जबरदस्ती कब्जा कर उन्हें हथियानें पर आमादा है । इसी दृष्टिकोण से रेस्पेडेन्ट ने पारिवारिक न्यायालय कोटा में अपीलान्ट के पुत्र के विरूद्ध धारा 125 सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें स्वयं का निवास स्थान मकान नम्बर 457, 458, 459, 460 अर्थात उक्त चारों मकानों में निवासरत होना बताया है जिसका वास्तविक नम्बर 457, 458ए, 459, एवं 460 है । मकान संख्या 458ए अपीलान्ट के नाम है जिसके दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये थे । मकान नम्बर 459 कम्यूनिस्ट पार्टी का कार्यालय है एवं मकान संख्या 460 अपीलान्ट के पुत्र अर्थात रेस्पोडेन्ट के पति का है । इस प्रकार

जिला कलक्टर
कोटा

रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के पुत्र की विवाहिता पत्नी होने के नाते केवल मकान संख्या 460 जो कि रंगबाडी मेन रोड अपीलान्ट के मकान 458ए के पीछे वाला मकान है, केवल उस मकान में रेस्पोडेन्ट को रहने का ही अधिकार है तथा रेस्पोडेन्ट उस मकान संख्या 460 में अपने पति विजय की पत्नी होने की हैसियत से रहे इसमें अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपीलान्ट के मकान संख्या 458ए को अनाधिकृत तरीके से हथियाने की कोशिश न करें, लेकिन रेस्पोडेन्ट झगडालू एवं लालची प्रवृति की महिला है एवं वह अपीलान्ट के मकान को ही नहीं अपितु अन्य दो मकान संख्या 457 व 459 को भी अनाधिकृत तरीके से हथियाने पर आमादा है । रेस्पोडेन्ट के उक्त कृत्यों से तंग आकर अपीलान्ट ने दिनांक 26.11.2021 को पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा एवं पुलिस अधीक्षक कोटा में दिनांक 7.12.2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी । इस कारण अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया था किन्तु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट के तथ्यों पर ध्यान दिये बगेर ही उक्त आलोचनात्मक निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिखते समय हमेशा रेश्यो तय किया जाता है और रेश्यो के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को पढने से यह परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय लिखने में त्रुटि की है, इस कारण से निर्णय दिनांक 28.11.2024 अपास्त होने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र कुमार विजय का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अपीलान्ट की बहस सुनी । वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट का स्वयं का एक खरीदशुदा मकान, मकान संख्या 458 केशवपुरा सेक्टर–4 रंगबाडी मेन रोड कोटा में स्थित है तथा अपीलान्ट उक्त मकान के 4 कमरे किराये पर देकर उससे होने वाली आय से ही अपनी गुजर बसर करती है, इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है । अपीलान्ट की इकलौती बहू रेस्पोडेन्ट का व्यवहार विवाह के पश्चात से ही अपीलान्ट व उसके पति के प्रति अमर्यारित एवं अपमान जनक रहा है । वह आये दिन किसी भी बात पर भडक जाती और सारे घरवालों को गंदी गंदी गालियां देती है उसके व्यवहार से तंग आकर उसका पति अपीलान्ट का पुत्र जुलाई 2008 में हुए विवाह के कुछ समय बाद बैंगलोर चला गया तथा नोकरी करने लगा । अपीलान्ट व उनके पति ने अपनी बहू को बेटी से भी बढकर मानकर उसकी सारी गलतियां क्षमा करते हुए अपनी बहु रेस्पोडेन्ट की इच्छाओं का सम्मान करते हुये उसे दिल्ली में आई ए एस की तैयारी कराने के लिये एक विख्यात प्रतिष्ठान "Made Easy" में आई ए एस की तैयारी करवायी, जिसका सारा खर्चा अपीलान्ट व उनके पति द्वारा किया गया । छः माह दिल्ली में तैयारी करने के बाद सुनिता वापस कोटा आ गई लेकिन पुनः लडाई झगडा करने लगी व आई ए एस की परीक्षा न देकर एक क्लर्क का एग्जाम दिया जिससे उसकी सरकारी नोकरी बैंगलोर में लग गई तथा बेंगलोर जाकर अपने पति के साथ रहने लगी तथा पति के साथ रहने के दौरान रोज रोज नई नई फरमाईशें करती एवं रेस्पोडेन्ट अपने पति से लडाई झगडा करने लगी तथा कोआ का मैन रोड का केशवपुरा वाला मकान अपने अपने नाम करवाने की फरमाईस करने लगी, इस बात का दबाव रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट व उसके पुत्र पर बनाने लगी, इसी के चलते एक बार हिट लेकर आत्महत्या का प्रयास भी कर चुकी है । मकान हडपने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट ने अपने पति से लडाई झगडा कर झूंठी मनकढंत रचना करते हुए सांठगांठ करके अपना ट्रांसफर कोटा में करवा लिया ।तथा दिनांक 6 जुलाई 2012 को रेस्पोडेन्ट लडाई झगडा करके कोटा आ गयी तथा जबरदस्ती अपीलान्ट के मकान में रहने लग गई तथा आये दिन अपीलान्ट के साथ लडाई झगडा व

जिला कलक्टर
कोटा

मारपीट करने लग गई तथा कहती है कि मकान मेरे नाम कर दो वरना दहेज के झूंठे मुकदमें में फंसा दूंगी । रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पति की सम्पत्तियां हडपने पर आमादा है। इतना ही नहीं वह अन्य पास पडौसियों के मकानों पर भी जबरदस्ती कब्जा कर उन्हें हथियानें पर आमादा है । इसी दृष्टिकोण से रेस्पेउेन्ट ने पारिवारिक न्यायालय कोटा में अपीलान्ट के पुत्र के विरूद्व धारा 125 सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें स्वयं का निवास स्थान मकान नम्बर 457, 458, 459, 460 अर्थात उक्त चारों मकानों में निवासरत होना बताया है जिसका वास्तविक नम्बर 457, 458ए, 459, एवं 460 है । मकान संख्या 458ए अपीलान्ट के नाम है जिसके दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये थे । मकान नम्बर 459 कम्यूनिस्ट पार्टी का कार्यालय है एवं मकान संख्या 460 अपीलान्ट के पुत्र अर्थात रेस्पोडेन्ट के पति का है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के पुत्र की विवाहिता पत्नी होने के नाते केवल मकान संख्या 460 जो कि रंगबाडी मेन रोड अपीलान्ट के मकान 458ए के पीछे वाला मकान है, केवल उस मकान में रेस्पोडेन्ट को रहने का ही अधिकार है तथा रेस्पोडेन्ट उस मकान संख्या 460 में अपने पति विजय की पत्नी होने की हैसियत से रहे इसमें अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपीलान्ट के मकान संख्या 458ए को अनाधिकृत तरीके से हथियाने की कोशिश न करें, लेकिन रेस्पोडेन्ट झगडालू एवं लालची प्रवृति की महिला है एवं वह अपीलान्ट के मकान को ही नहीं अपितु अन्य दो मकान संख्या 457 व 459 को भी अनाधिकृत तरीके से हथियाने पर आमादा है । रेस्पोडेन्ट के उक्त कृत्यों से तंग आकर अपीलान्ट ने दिनांक 26.11.2021 को पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा एवं पुलिस अधीक्षक कोटा में दिनांक 7.12.2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी । इस कारण अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया था किन्तु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट के तथ्यों पर ध्यान दिये बगैर ही उक्त आलोचनात्मक निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिखते समय हमेशा रेश्यो तय किया जाता है और रेश्यो के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को पढने से यह परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय लिखने में त्रुटि की है, इस कारण से निर्णय दिनांक 28.11.2024 अपास्त होने योग्य है । अपीलान्ट संपूर्ण अपील के दोरान निवेदन करना चाहती है कि अपीलान्ट का उद्देश्य रेस्पोडेन्ट को किसी भी रूप में बेघर करना नहीं है किन्तु वह माननीय न्यायालय से चाहती है कि उसके खरीशुदा मकान में रहने की जगह रेस्पेडेन्ट अपने पति के साथ उसके निवास स्थान पर रहे जो कि उक्त मकान अपीलान्ट के मकान के ठीक पीछे वाला है । अतः अपील में वर्णित तथ्यों एवं आधारों को कन्सीडर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2024 को अपास्त किये जाने की कृपा करें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि उपरोक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2024 के विरूद्व पेश की है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है तथा जो तथ्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किये है उसी के आधार पर अपील, अपीलान्ट खारिज योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसमें उसके द्वारा मकान नम्बर 458 केशवपुरा सेक्टर 4 कोटा बताया गया है और उसी से बेदखल करने के लिये रेस्पोडेन्ट के विरूद्व प्रार्थना चाही गई है । वास्तविक तथ्य यह है कि मकान नं0 458 केशवपुरा सेक्टर 4 कोटा अपीलान्टा का है ही नहीं, ना ही उससे उसका कोई लेना देना है बल्कि यह मकान जिसका नं0 458 है रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति नायक के नाम है जो नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उसे आवंटित किया गया है और जिसकी उपपंजीयक द्वितीय कोटा के यहां रजिस्ट्री भी रामचन्द्र के नाम हुई है जिसके अनुबंध की तारीख 15.01.2009 है जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत है और जिससे स्पष्ट है कि जब मकान

जिला कलक्टर
कोटा

नं0 458 केशवपुरा सेक्टर 4 कोटा प्रार्थीया का है ही नहीं तो फिर वह किसी प्रकार से बेदखल करने की प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय से कैसे कर सकती थी और अब इस न्यायालय से । इस बिना पर प्राथमिक दृष्टि से ही यह अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट एक बहुत ही झगड़ालू व लड़ाकू प्रवृत्ति की है जो रेस्पोडेन्ट के शान्तिपूर्ण जीवन यापन में हमेशा कोई न कोई व्यवधान पैदा करती रहती है जबकि रेस्पोडेन्ट बैंक में सामान्य कर्मचारी है जिससे होने वाली आय से वह स्वयं का गुजारा एवं दो बच्चों जिसमें एक पुत्र विहार जो कक्षा 6 में बंसल पब्लिक स्कूल कोटा में अध्ययनरत है व एक पुत्री त्रिशा 13 वर्ष जो कक्षा 9 में बंसल पब्लिक स्कूल कोटा में अध्ययनरत है जिनका भी समस्त खर्चा रेस्पोडेन्ट द्वारा ही वहन किया जाता है । अपीलान्ट स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में जो उसने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है उसके पैरा नं0 2 में अंकित करती है उसके मकान के चार कमरे उसने किराये पर दिये हुये है जिससे वह अपना गुजारा करती है, यह तथ्य भी अपीलान्ट द्वारा छिपाकर प्रस्तुत किये गये है क्योंकि इन चार कमरों का किराया उसे 15000/- प्रतिमाह प्राप्त होता है, यह तथ्य रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी लिखा है और जिसका कोई खण्डन अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया है । अपीलान्ट द्वारा यह अंकित करना कि उसकी आय का अन्य कोई साधन नहीं है, यह भी नितान्त गलत अंकित किया है, क्योंकि अपीलान्ट के पति दूलीचन्द मीणा के नाम ग्राम बरेदा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील सांगरोल में 10.800 हे0 भूमि में 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट के पति का है । इसी प्रकार अपीलान्ट के पति दूलीचन्द मीणा के नाम लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा में 7.1200 हे0 भूमि में 1/7 हिस्सा है । इन दोनों भूमि की जमावंदी की नकले रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है जो पत्रावली में संलग्न है और जिससे भी अपीलान्ट ने कभी इंकार नहीं किया है क्योंकि यह रिकोर्डेड फेक्ट है और इस प्रकार यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पास पर्याप्त आय के साधन ही नहीं वल्कि आवश्यकता से अधिक साधन है । क्योंकि मकान में चार कमरों का किराया 15000/- प्रति माह एवं कृषि भूमि की कम से कम 25,00,000/-रूपये की वार्षिक आमदनी है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय का जो निष्कर्ष लिखा है उसमें भी स्पष्ट रूप से अंतिम पृष्ट पर नीचे से 13वीं लाईन में स्पष्ट अंकित किया है कि-" अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत फर्द दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पति के पास कृषि भूमि उपलब्ध है एवं प्रार्थीया /अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित वहस में अप्रार्थीया द्वारा किये गये कथनों का विरोध नहीं किया है जिस कारणसे अप्रार्थीया द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है । अतः हम अप्रार्थीया के इस कथन से सहमत है कि प्रार्थीया के पास आय के पर्याप्त साधन मोजूद है । प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मकान के आवंटन की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने जिस मकान नं0 458 केशवपुरा सेक्टर 4 कोटा का स्वयं का होना वताया है वह अपीलान्ट का नहीं है और इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमया है ।" जो पूर्णतया उचित एवं सही है इसलिये अपील खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद वाहर है । विलम्व से अपील पेश करने का उचित कारण भी अंकित नहीं किया है । लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2024 की प्रथम जानकारी दिनांक 24.12.2024 को होने का तथ्य अंकित किया है जिसकी नकल दिनांक 10.01.2025 को प्राप्त होना अंकित किया है तथा बाद में वायरल होने के कारण वीमार होने का तथ्य विल्कुल असत्य है क्योंकि वीमार होने का कोई मेडिकल प्रमाण पत्र भी धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है । इस प्रकार धारा 5 का प्रार्थना खारिज होने योग्य है तथा अपील भी मियाद वाहर होने से खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की वहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2024 के विरुद्ध दिनांक 25.02.2025 को पेश की गई है जो निर्धारित अवधि 60 दिवस में नहीं होकर मियाद वाहर है । विलम्व से अपील प्रस्तुत करने एवं विलम्व को क्षम्य करने

जिला कलक्टर
कोटा

के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 24.12.2024 को होना स्वयं द्वारा बताया है तथा बाद में बीमार होने से अपील समय पर प्रस्तुत नहीं करने का कथन किया है । अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी 24.12.2024 को हो चुकी थी फिर भी अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा विलम्ब के लिए बताये गये कारण ठोस आधार नहीं है किन्तु प्रस्तुत अपील में गुणावगुण का विन्दु निहित होने से अपील को केवल तकनीकी आधारों पर ही खारिज करना हम उचित नहीं मानते है । अतः प्रस्तुत अपील में हुए विलम्ब को उदारता दिखाते हुए क्षम्य किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण उचित होने से विलम्ब को क्षम्य किया जाकर धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

7. प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि कि अपीलान्ट मकान नं0 458 केशवपुरा सेक्टर–4 रंगबाडी मैन रोड़ में रहती है जो उनका स्वयं का खरीदशुदा मकान बताया है । तथा यह भी स्पष्ट किया है कि मकान नम्बर 458 को ही सहवन से अपीलांट एवं रेसपोडेन्ट 458ए कहते है, इस मकान के चार कमरों में किरायेदार रहते है तथा 1–2 महिने पहले ही कमरे खाली हुए थे जिनमें रेस्पोडेन्ट द्वारा अपना सामान शिफ्ट कर दिया और अनाधिकृतरूप से मकान को हथियाना चाहती है । अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि रेसपोडेन्ट केवल अपने पति अपीलान्ट के पुत्र के मकान नं0 460 जो रंगबाडी मैन रोड़ अपीलान्ट के मकान नं0 458ए के पीछे वाला है उस पर ही हैसियत रखती है जिसमें अपीलान्ट को कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया है कि अपीलान्ट के पति दूलीचन्द मीणा के नाम ग्राम बोरदा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील मांगरोल में 10.800 हे0 भूमि में 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट के पति का है । इसी प्रकार अपीलान्ट के पति दूलीचन्द मीणा के नाम लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा में 7.1200 हे0 भूमि में 1/7 हिस्सा है । इन दोनों भूमि की जमाबंदी की नकले रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुतशुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिससे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । वकील रेस्पोडेन्ट का कथन उचित है कि मकान नम्बर 458 अपीलान्ट का नहीं है, यह मकान रामचन्द्र नाम के व्यक्ति के नाम है, अपीलान्ट का मकान तो 458ए है जिसके दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है, वैसे भी अपीलान्टा व रेस्पोडेन्ट 458ए को ही 458 सहवन से कहते है तथा अपीलान्टा 458ए से ही रेस्पोडेन्ट बेदखल कराना चाहती है जिसके दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि वह अपने पति के प्लॉट पर बने मकान में निवास कर रही है, जो उनके पति के नाम है । किन्तु उक्त विवादित मकान 458ए तो अपीलान्टा के नाम है, इस प्रकार जब रेस्पोडेन्ट अपने पति के मकान में निवास कर रही है तो उनके द्वारा अपीलान्टा के मकान नम्बर 458ए के चार कमरों में अपने सामान क्यों शिफ्ट किये ? यदि 458ए के मकान में अपने सामान रखे हो तो उन्हें निकाला जाकर मकान नम्बर 458ए खाली करें ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में भरण पोषण हेतु चाहा गया अनुतोष अपीलान्ट को भरण पोषण की आवश्यकता नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है । किन्तु मकान नं0 458ए से रेस्पोडेन्ट के बेदखली की प्रार्थना स्वीकार की जाकर आदेश दिये जाते है कि रेस्पोडेन्ट, अपीलांट के मकान नं0 458ए के कमरों में रखा अपना सामान तुरंन्त खाली करें तथा अपने पति के नाम का मकान जिसमें वह निवास करती है में शिफ्ट करें । निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार पालना सुनिश्चित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा